कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमाँक – एफ.1–3(3)स्थापना/2017/ दिनाँक – .03.2019

विज्ञप्ति संख्या 01/2019

संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र कमांक प.3(1)कार्मिक/क–2/2013 दिनांक 21.06.2017 के निर्देशानुसार राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के नियम 9 के अन्तर्गत प्रकियात्मक अपेक्षा में 3 वर्ष के भीतर स्थाईकरण के लिये पात्र बनाने हेतु विहित कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा (हिन्दी/अंग्रेजी) का आयोजन इस कार्यालय के आदेश कमांक 108 दिनांक 02.04.2018 से अति0जिला कलक्टर, बूंदी की अध्यक्षता में गठित परीक्षा आयोजन समिति द्वारा किया जाना है। इस हेतु पात्र अभ्यर्थियो से निम्नांकित प्रकियानुसार आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाने हैः–

1. परीक्षा का स्थान एवं समयः– परीक्षा का आयोजन दिनांक 27.05.2019 को प्रातः 11.00 बजे से सूचना एवं विज्ञान केन्द्र कलक्ट्रेट बूंदी में किया जावेगा।
2. आवेदन पत्र भेजने का पता एवं अन्तिम तिथि :– आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरे हुए व्यक्तिशः अथवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अन्तिम तिथि 30.04.2019 समय सांय 5.00 बजे तक स्वीकार्य होंगे। आवेदन पत्र भेजने का पता "जिला कलक्टर, बून्दी(राजस्थान)" है। निर्धारित समयावधि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगें।
3. परीक्षा शुल्कः– कम्प्यूटर टंकण परीक्षा हेतु रूपये 500/– का डीडी "जिला कलक्टर बूंदी" के नाम से बनाया जाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाना है। अन्य प्रकार किसी भी प्रकार से शुल्क स्वीकार नही किया जावेगा।
4. परीक्षा उत्तीर्ण करने का आधार :– उक्त टंकण परीक्षा कम्प्यूटर पर ली जानी है। हिन्दी टाईपिंग में 240 न्यूनतम(24 श.प्र.मि.) शब्द तथा अंग्रेजी में न्यूनतम 280(28 श.प्र.मि.) शब्द शुद्ध टंकित किया जाने पर ही अभ्यर्थी को उत्तीर्ण माना जावेगा। इस हेतु प्रत्येक परीक्षार्थी को टंकण के लिए 10 मिनट का समय दिया जावेगा।
5. आवेदन पत्र का प्रारूप तथा आवश्यक दिशा निर्देश का विस्तृत विज्ञापन जिला कलक्टर, बून्दी की वेबसाईट bundi.rajsathan.gov.in पर दिनांक 12.03.2019 से उपलब्ध होगा।

जिला कलक्टर,बून्दी

क्रमांकःएफ1–3 (3)स्था0/2017/3733-3850 दिनांकः– 13.03.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ।
2. निदेशक, भाष एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान जयपुर को सूचनार्थ।
3. अतिरिक्त जिला कलक्टर, बून्दी।
4. उपखण्ड अधिकारी, बून्दी, तालेडा, के0पाटन, लाखेरी, हिण्डोली, नैंनवा।
5. तहसीलदार, बून्दी, तालेडा, के0पाटन, इन्द्रगढ, नैनवा, हिण्डोली।
6. कोषाधिकारी बूंदी।
7. एसीपी, डीओआईटी, बून्दी।
8. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी (NIC) बून्दी।
9. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी बूंदी को प्रेस नोट जारी करने बाबत।
10. लेखाधिकारी, कलक्ट्रेट, बून्दी।
11. केशियर कार्यालय हाजा, कलक्ट्रेट, बून्दी
12. समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण..
13. आदेश पत्रावली

जिला कलक्टर, बून्दी

Order File.docx 258.docx3.docx12